निर्णय लिया गया है. उस के अनुसार प्राथमिक, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का वेतन 110 रु० कर दिया गया है। जो उन के प्रधान अध्यापक हैं, उन का वेतन 115 रु० कर दिया गया है, जो मिडिल स्कूल के अध्यापक हैं उन का वेतन भी 115 रु० कर दिया गया है और उन के प्रमुख का 120 रु० किया गया है। लेकिन फिर भी बहुत से अध्यापकों का वेतनमान अभी भी 80 रु० है।

आपने हरियाणा का उदाहरण दिया। मैंने पहले कहा था कि हरियाणा और पंजाब सरकारों ने अपने ही रिसोर्सेज से, हम से बिना मदद लिये वैसा किया है। बिहार की सरकार ने भी बिना हम से मदद लिये शिक्षकों के वेतनमानों को सिद्धान्त: स्वीकार किया है और तीन वर्षों में वहां के शिक्षकों की राय के अनुसार कार्यान्वित करना शुरू किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यों ही उत्तर प्रदेश में नई सरकार आयेगी, वह इस के बारे में कुछ निर्णय करेगी। मैं यह भी बतला दूं—उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के 12 लाख शिक्षक हैं, अगर सरकार उन को 150 रु० भी देना शुरू करे तो उस के लिये 10 करोड़ रुपया चाहिये, इतनी बड़ी धनराशि बिना एडीशनल रिसोर्सेज के सम्भव नहीं है, इस लिये मैं आशा करता हूं कि नई सरकार इस पर निर्णय करेगी। ·····(**व्यवधान**)····

जहां तक 10 प्रतिशत के लिये विवश करने का प्रश्न है, हम राज्य सरकारों को विवश नहीं कर सकते, लेकिन बराबर कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारें अपने धन का अधिक से अधिक प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करें।

PAPERS LAID IN THE TABLE

INTERIM REPORT OF FIFTH FINANCE COMMISSION

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : I beg to lay on the Table a copy of the Interim Report of the Fifth Finance Commission together with an explanatory memorandum showing the action taken thereon, under article 281 of the Constitution. [*Placed in Library. See* No. LT—2128/68.]

ANNUAL ACCONTS OF THE KANDLA PORT TRUST AND ANNUAL ACCOUNTS OF MORMUGAO PORT TRUST

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO) : I beg to re-lay on the Table :

(1) A copy of the Annual Accounts of the Kandla Port Trust for the year 1966-67 and the Audit Report thereon, under sub-section (2) of section 103 of the Major Port Trust Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-1837/68.]

(2) A copy of the Annual Accounts of the Mormugao Port Trust for the year 1966-67 and the Audit Report thereon, under sub-section (2) of section (103) of the Major Port Trust Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-2129/68.]

ANNUAL REPORTS OF INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, AHMEDABAD, INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BOMBAY, ETC.

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Annual Report of the Indian Institute of Management, Ahmedabad for the year 1967-68 along with the Audited Accounts.

(2) A copy of the Annual Report of the Indian Institute of Technology, Bombay, for the year 1967-68.

(3) A copy each of the Annual Report of the Indian Institute